

प्रेषण,

प्रिय प्रकाश गुप्त,
लखनऊ विद्यालय,
उत्तर प्रदेश शासन ।

तेवा मे,

विद्यालय,
लेन्ड्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
लखनऊ २,
लखनऊ लेन्ड्रीय विद्यालय,
लखनऊ ।

शिक्षा १७। अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: ०३ जुलाई, २००६

विषय:- **८०३३वी० इटरेशन स्कूल शिक्षाकान्ड विद्यार्थीय। इन्द्रियापुराष, विद्यालय**
जो शीठीलाल००० नईटिली ते सेक्काता हेठु अपारिष्ट प्रमाण पत्र दिये जाने विषय
मठोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह छहने का
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय जो **शीठीलाल०००** नईटिली से
संबद्धता हेठु अपारिष्ट प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार जो नियमित
प्रतिक्रियाएँ के अधीन आपरिष्ट नहीं है :-

- 111 विद्यालय की प्रंजीकृत सौसाधी का सम्बन्धित विषय पर नवीनीकरण कराया
जाएगा ?
- 121 चिपतात री प्रबंध तमिति में लक्षा निर्देशक द्वारा नामित सब सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिवार्ष तथा अनुसूचित जाति/जनजाति जो
भैषाक्षी वर्षों हेतु तुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०४०००० रुपयोगिक्षा परिषद्/
वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संवाजित विद्यालयों में विभिन्न व्याख्यातों के
लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से वित्ती अनुदान की पाँग नहीं की जाएगी
और पर्दि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् जथा वैसिक शिक्षा
परिषद् ते मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता लेन्ड्रीय माध्यमिक
शिक्षा परिषद्/कैंसिल फार दि इण्डिपन स्कूल स्टीफिलेट इक्या मिलेन
नईटिली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त लेन्ड्रीय परिषद्हों
की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०४०००० रुपयोगिक्षा परिषद्
द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त
हो जाएगे ।

- 15। संस्था के शिक्षिक सबं शिक्षणेत्ता कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य खेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम खेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों की क्षमा ग्रही बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशात्तीय उच्चतर माध्यर्थिक विधालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति वा नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा तम्य-तम्य पर जो भी जादेज निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विधालय वा रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/वंजिधारों में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों वा पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी सम्यक यह पाला जाता है तो संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है जिसका पालन करने में किसी प्रबल जी वृक या शिक्षिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस न लिया जायेगा ।

भवदीय,

**प्रिय प्रबल बुक्स ।
संस्कृत तात्त्व ।**

पूर्वांक एवं दिनांक तैयार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक जार्यार्दी हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लक्ष्मऊ ।
- 2- मण्डलीय तंयुक्त शिक्षा निदेशक, **लैटर ।**
- 3- किंवा विधालय निरीक्षक, **वादिवालाद ।**
- 4- निरीक्षक, जांगल भारतीय विधालय 3090, लक्ष्मऊ ।
- 5- प्रबंधक, **प्रो लैटरीलाइटरेशन रूप लाइब्रेरी लिटरीयू इन्डिया बुक्स, वादिवाला**
- 6- गार्ड बुक ।

आशा है,

*संस्कृत तात्त्व ।
संस्कृत तात्त्व ।*